आज दिनांक 15.04.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौर-तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के उद्देश्य से वितरण की जा रही 42 शीशी बंटी बब्ली देशी शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब के वितरण व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से बांटी जा रही अवैध देशी शराब को दिनांक 14.04.20201 को समय 21.30 बजे ग्राम धुसुक पुरवा के पास से 02 व्यक्तियों — 1- अजीत प्रताप सिंह पुत्र शिवप्रताप सिंह निवासी कैथविलया थाना बेलहरकला, 2- पुनीत सिंह पुत्र विमलेश सिंह निवासी बेलवा सेंगर थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर, के पास से क्रमशः 22-20 शीशी बंटी बबली ब्राण्ड अवैध देशी शराब (कुल 42 शीशी) को बरामद कर थाना बेलहरकला पर क्रमशः मु0अ0सं0 65/2021 व 66/2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम व 171-E भादवि पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ०नि० श्री अमर सिंह, उ०नि० श्री हरिमूरत सिंह, का० गुड्डू यादव, का० नागेन्द्र गुप्ता, का० श्यामनारायन यादव।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2548 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 2548 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत जिगीना के पास से इवेन्ट संख्या 12716 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 02 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पीआरवी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया तथा दुर्घटना के संबंध मे थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया। पीआरवी

कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई गई। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ -मु0आ0 विशेश्वर प्रसाद, आ0 वीरेन्द्र यादव, आ0चा0 राजन प्रसाद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 33 वाहनों से 35,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल व 07 वाहनों को किया गया सीज

आज दिनांक 15.04.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 33 वाहनों से 35500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल व 07 वाहनों को सीज किया गया।